

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: 25 नवंबर, 2013

उदघोषित तिथि: 20 दिसंबर, 2013

रि.या.(सि.) 7449/2012

रवि क्रॉप विज्ञान

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगमोहन
सभरवाल के साथ अधिवक्ता सुश्री
शिखा सप्रा।

बनाम

भारत संघ व अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: अधिवक्ता श्री एस. के. दुबे के
साथ अधि. सुश्री आनंदी मिश्रा,
अधि. श्री रोशन लाल गोयल।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री जी.पी. मित्तल

निर्णय

न्या. श्री जी.पी. मित्तल

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका के आधार पर, याचिकाकर्ता ने सिटी बैंक, एनए, 27 सेंट्रल मार्केट, सेक्टर II, वेस्टर्न एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में अपने खाते को सक्रिय करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसे

प्रत्यर्थी सं. 2 (राजस्व खुफिया निदेशालय) द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ फर्मों के खिलाफ सोडियम बाइकार्बोनेट की आड़ में उच्च मूल्य के पीड़कनाशी/कीटनाशकों के आयात के कुछ आरोप थे, जिसके कारण प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा कुछ जांच की गई। यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता को न तो दोषी ठहराया गया है और न ही जांच के अनुसरण में जारी किए गए कथित कारण बताओ नोटिस में नोटिस के रूप में पेश किया गया है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता का बैंक खाता सं. 030874226, जिसमें बड़े बदलाव हुए हैं (इसके गठन में) को निष्क्रिय कर दिया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम) की धारा 110 (1) के प्रावधानों के अनुसार, यदि अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी कोई माल जब्त किया जाता है और अधिनियम की धारा 124 के तहत छह महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता है, तो माल उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए, जिससे माल जब्त किया गया है। यह कहा गया है कि चूंकि जुलाई, 2011 में बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया गया था, इसलिए इसे सक्रिय किया जाना चाहिए।

3. रिट याचिका का प्रत्यर्थागण सं. 1 और 2 द्वारा विरोध किया गया है। जवाबी शपथ पत्र के पैरा 1 से 6 जो प्रत्यर्थागण के रुख को दर्शाते हैं, नीचे दिए गए हैं:-

"1. राजस्व खुफिया निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित उस खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि कुछ फर्म चीन से "सोडियम बाइकार्बोनेट", "थियोनी क्लोराइड" और "सोडियम ब्रोमाइड" की आइ में उच्च मूल्य के पीड़कनाशकों / कीटनाशकों / शाकनाशियों / कवकनाशियों का आयात कर रही थीं। इसलिए फर्मों द्वारा आयातित जीवित माल को रोक दिया गया और डीआरआई अधिकारियों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। विभिन्न गोदामों में संग्रहीत माल और विभिन्न जीवित आयातित माल के नमूने लिए गए और पुष्टिकरण परीक्षण करने के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, फरीदाबाद और कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुड़गांव को भेजे गए।

2. जालसाजों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में पीड़कनाशकों / कीटनाशकों / शाकनाशकों / कवकनाशकों को "सोडियम बाइकार्बोनेट", "थियोनी1 क्लोराइड" और "सोडियम ब्रोमाइड" के रूप में गलत तरीके से घोषित करना और "सोडियम बाइकार्बोनेट", "थियोनी1 क्लोराइड" और "सोडियम ब्रोमाइड" के प्रचलित आयात मूल्यों पर उनकी निकासी के लिए प्रविष्टि बिल दाखिल करना शामिल था। यह उल्लेखनीय है कि "सोडियम बाइकार्बोनेट" और "थियोनी1 क्लोराइड" के घोषित आयात मूल्य 220 - 250 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की सीमा में हैं, जबकि पीड़क नाशकों/कीटनाशकों/शाकनाशकों/कवकनाशकों का सामान्य आयात मूल्य बहुत अधिक है और न्यूनतम आयात मूल्य लगभग 2000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। इसलिए, उक्त फर्मों द्वारा किए गए अवमूल्यन की सीमा बहुत अधिक है। अनुमान है कि आयातित माल का वास्तविक मूल्य घोषित मूल्य से दस गुना अधिक है।

3. ऐसे आयातों में शामिल व्यक्तियों के बयान व मूल्यों की गलत घोषणा और अब तक डीआरआई द्वारा एकत्र किए गए अन्य

साक्ष्यों से पता चलता है कि पीड़कनाशकों / कीटनाशकों / खरपतवारनाशकों / कवकनाशकों का आयात कई फर्जी फर्मों के नाम पर मेसर्स वी.वी.के. ट्रेडर्स, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली के मालिक श्री विमल कुमार द्वारा किया जा रहा था। मेसर्स मेहता ओवरसीज, मेसर्स चोपड़ा ओवरसीज और मेसर्स उमेश इम्पेक्स और अन्य फर्मों के नाम पर आयातित माल को नकली नकद बिलों के बदले व्यक्तियों को बेचा गया। सही विवरण के साथ आयातित रसायनों को फर्जी फ्रंट फर्मों के एक अन्य समूह द्वारा मुख्य रूप से सांबा, जम्मू और कश्मीर में स्थित कई फर्मों को आपूर्ति की गई थी, जिन्हें उक्त श्री विमल कुमार द्वारा उनके भाई श्री कमल कुमार के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। ऐसी ही एक फर्म, मेसर्स रवि क्रॉप साइंस, सांबा में है, जिसका इस्तेमाल जालसाजों द्वारा अवैध रूप से आयातित सामग्री/रसायनों को नियमित करने के लिए किया जा रहा था। उक्त फर्म मेसर्स रवि क्रॉप साइंस एक कीटनाशक निर्माण इकाई है।

4. उक्त आयातकों से संबंधित विभिन्न गोदामों में माल को भी रोका/जब्त किया गया है। आज तक उक्त व्यक्तियों द्वारा फर्जी फ्रंट फर्मों के नाम पर 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग सत्तर से अस्सी मालों का आयात किया गया है। मेसर्स रवि क्रॉप साइंस, सांबा, जम्मू-कश्मीर में 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विभिन्न किस्मों के आयातित पीड़कनाशकों/कीटनाशकों सहित स्टॉक को आगे की जांच के लिए रोका/जब्त किया गया। अवरोधित/रोके/जब्त किए गए माल के कुल मूल्य का मोटा अनुमान 5 करोड़ रुपये से अधिक है। गलत घोषणा और कम मूल्यांकन (पिछले डेढ़ साल में) के कारण शुल्क चोरी का मामूली अनुमान 4 करोड़ रुपये से अधिक है।

5. जब्त रसायनों के नमूनों की अब तक पंद्रह परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं और उनसे पुष्टि होती है कि माल कीटनाशक ही है।

6. आईसीडी, तुगलकाबाद और न्हावा शेवा में मेसर्स उमेक्स इम्पेक्स, मेसर्स चोपड़ा ओवरसीज और मेसर्स मेहता ओवरसीज के नाम से आयातित जीवित कंटेनरों से लिए गए तेरह नमूनों में कीटनाशकों, जैसे कि पैराक्वेट डिशोलराइड, इमिडाक्लोप्रिड,

क्लोरपायरीफोस, एट्रिजिन, डिक्लोरवोस, फिप्रोनिल बुप्रोफेजिन और थियामेथोक्सम आदि पाए जाने की पुष्टि हुई है। मेसर्स रवि क्रॉप साइंस, सांबा की इकाई में हिरासत में लिए गए एक शाकनाशी, 'एट्राजीन टेक्निकल' के बैच नंबर का आयातित माल के साथ सहसंबंध ने पुष्टि की कि आयात के समय उक्त माल को 'सोडियम बाइकार्बोनेट' के रूप में गलत घोषित किया गया था।

4. जवाबी शपथपत्र में आगे कहा गया है कि खतरनाक और हानिकारक रसायनों का आयात विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है और इसकी बिक्री और वितरण में शामिल व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है और इससे सरकारी कोष को भी भारी नुकसान होता है।
5. यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की गई जांच के दौरान, यह पता चला कि याचिकाकर्ता फर्म मेसर्स रवि क्रॉप साइंस के पूर्व पार्टनर श्री अर्पित राजवंशी ने अपने बयान में कहा था कि मेसर्स रवि क्रॉप साइंस के पंजाब नेशनल बैंक, मुजफ्फरनगर और पंजाब नेशनल बैंक, हिसार में बैंक खाते थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मेसर्स रवि क्रॉप साइंस की चेक बुक हस्ताक्षर करने के बाद श्री कमल अलावादी को वापस कर दी थी। श्री अर्पित राजवंशी ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेसर्स रवि क्रॉप साइंस का सिटी बैंक, नई दिल्ली में कोई खाता है और उन्होंने उस खाते के किसी चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह माना जाता है कि खाता खोलने के फॉर्म का सामना करने पर, वह (श्री अर्पित राजवंशी) सहमत हुए कि

उनके हस्ताक्षर फर्म के भागीदार के रूप में खाता खोलने के फॉर्म पर दिखाई दिए। जवाबी शपथपत्र के पैरा 19 में, कर चोरी के अनुपात के संबंध में दावे किए गए हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: -

“19. जांच के दौरान, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता फर्म के सिटी बैंक, नई दिल्ली में बैंक खाते का खाता विवरण मांगा। उक्त खाता विवरण से मेसर्स रवि क्रॉप साइंस, मेसर्स वीवीके ट्रेडर्स, मेसर्स क्लासिक इंटरनेशनल और मेसर्स गैलेक्सी मार्केटिंग के बीच भारी लेनदेन का पता चला। खाता विवरण के विश्लेषण से यह भी पता चला कि मेसर्स वीवीके ट्रेडर्स से मेसर्स रवि क्रॉप साइंस के उक्त खाते में ₹4.09 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। साथ ही, ₹5.60 करोड़, ₹0.66 करोड़ और ₹ 1.75 करोड़ (कुल 8.00 करोड़) की राशि क्रमशः मेसर्स क्लासिक इंटरनेशनल, मेसर्स गैलेक्सी मार्केटिंग और मेसर्स वीवीके ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी। उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला है कि मेसर्स क्लासिक इंटरनेशनल और मेसर्स गैलेक्सी मार्केटिंग दोनों ही अस्तित्वहीन संस्थाएं थीं और व्यापारिक वस्तुओं के कागजी लेन-देन के उद्देश्य से बनाई गई थीं। इसकी पुष्टि श्री अमित गुप्ता, निवासी सी-30 प्रथम तल, आदर्श नगर, दिल्ली, मेसर्स क्लासिक इंटरनेशनल के भू-स्वामी श्री दीपक बंसल और मेसर्स गैलेक्सी मार्केटिंग के भू-स्वामी श्री नवीन कुमार गुप्ता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के तहत दिए गए अपने बयानों में की गई है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह देखा जा सकता है कि मेसर्स रवि क्रॉप साइंस ने गैर-मौजूद फर्मों के नाम पर विभिन्न प्रकार के अवैध रूप से आयातित कीटनाशकों की खरीद के बदले गैर-मौजूद फर्मों को भारी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित की है, जो केवल कागजों पर की गई थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। 13.08.2010 से 01.07.2011 तक के उक्त खाता विवरण की प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न है।”

6. यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कब्जे से माल जब्त किया गया है, उसे नोटिस देने की शर्त केवल उन मालों पर लागू होती है जो अधिनियम की धारा 110 (1) के तहत जब्त किए गए हैं, अन्यथा नहीं।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगमोहन सभरवाल ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *हरबंस लाल बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज व कस्टम्स*, (1993) 3 एससीसी 656 के निर्णय पर भरोसा करते हुए आग्रह किया है कि एक बार अधिनियम की धारा 110(2) के तहत छह महीने की अवधि के भीतर नोटिस नहीं दिया जाता है, तो जब्त किया गया माल उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए जिसके कब्जे से उसे जब्त किया गया था। यह आग्रह किया गया है कि भले ही छह महीने के लिए विस्तार दिया गया हो, लेकिन यह तब तक अमान्य होगा जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को ऐसा विस्तार देने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता।
8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थागन के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. दुबे ने अधिनियम की धारा 110 और 124 के बीच अंतर करने की कोशिश की और तर्क दिया कि यद्यपि धारा 110(2) के तहत छह महीने की अवधि के भीतर नोटिस देना अनिवार्य है, फिर भी धारा 124 के तहत

ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 124 के तहत माल की जब्ती जारी रह सकती है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता *जीवराज और अन्य बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स व अन्य, (1997) 8 एससीसी 519* पर भरोसा करते हैं।

9. श्री दुबे ने आगे आग्रह किया कि बैंक खातों को बिना शर्त सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि तब डीआरआई के लिए सीमा शुल्क और उस पर लगाए गए जुर्माने की वसूली करना मुश्किल हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने *कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, नई दिल्ली बनाम यूरोएशिया ग्लोबल, (2009) 6 एससीसी 58* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।
10. श्री दुबे ने *डायरेक्टर जनरल, डीआरआई व अन्य बनाम सज्जन कुमार व अन्य, ले.पे.आ.सं. 450/2012, दिनांक 02.07.2012* को निर्णीत, इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय का हवाला देते हुए आग्रह किया है कि बैंक खातों के परिचालन की अनुमति केवल इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता खातों पर रोक लगाए जाने की तिथि को जमा की गई राशियों तथा पिछले आयातों के संबंध में खातों में जमा की गई राशियों को निकालने का हकदार नहीं होगा।

11. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *हरबंस लाल* के फैसले में धारा 110(2) और 124 के अंतर और दायरे पर विस्तार से चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 110 और 124 एक दूसरे से स्वतंत्र, अलग और अनन्य हैं और भले ही कोई जब्त किया गया माल अधिनियम की धारा 110 के अनुसार वापस किया जा सकता हो, धारा 124 के तहत माल की जब्ती की कार्यवाही अभी भी जारी रह सकती है। *हरबंस लाल* की रिपोर्ट के पैरा 7 और 8 नीचे उद्धृत हैं:-

7. जैसा कि पहले कहा गया है, धारा 110 अध्याय XIII में है जो तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के विषय को आच्छादित करती है। यह धारा जांच के चरण के दौरान काम करती है। धारा 124, जिसका पहले संकेत दिया गया है, अध्याय XIV में है जो माल की जब्ती और जुर्माना लगाना विषयों को आच्छादित करती है। जांच का विषय और जब्ती व जुर्माना लगाना एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अनन्य हैं, और प्रत्येक का लक्ष्य अलग है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आईजे राव, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनाम बिभूति भूषण बाग (1989) 3 एससीसी 202 में अधिनियम की धारा 110(2) के परंतुक की व्याख्या करते हुए माना है कि जब माल की जब्ती के संबंध में छह महीने से अधिक समय तक विस्तार करना हो, तो कलेक्टर को विस्तार देने का निर्णय लेने से पहले माल के मालिक को नोटिस देना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि छह महीने के बाद अपने माल को वापस पाने का उसका अधिकार विस्तार के आदेश से पराजित होता है। इसने यह भी माना है कि जहां किसी व्यक्ति के अधिकार किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से प्रतिकूल और पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, ऐसा व्यक्ति इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कार्यवाही न्यायिक, अर्ध-न्यायिक

या प्रशासनिक प्रकृति की है, पूर्वनिर्णयात्मक नोटिस पाने का हकदार है। इससे पहले, सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम चरण दास मल्होत्रा (1971) 1 एससीसी 697 मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि कलेक्टर से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह यंत्रवत् या नियमित रूप से विस्तार का प्रस्ताव देगा, बल्कि केवल तभी जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो यह संकेत देते हैं कि जांच धारा 110(2) में दिए गए समय के भीतर सद्भावनापूर्ण कारणों से पूरी नहीं की जा सकी और इसलिए, अवधि का विस्तार आवश्यक हो गया है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कलेक्टर तब तक समय नहीं बढ़ा सकता जब तक कि उसके सामने रखे गए तथ्यों से उसे संतुष्टि न हो जाए कि विस्तार की आवश्यकता के लिए पर्याप्त कारण हैं, ऐसे में विस्तार के लिए आवेदन करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों पर यह साबित करने का स्पष्ट रूप से भार होगा कि ऐसा विस्तार आवश्यक था। यह भी बताया गया था कि जब्ती की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति पर, माल का मालिक जब्त माल की बहाली के अधिकार के रूप में हकदार होगा, और उस अधिकार को उसे नोटिस दिए बिना पराजित नहीं किया जा सकता है कि विस्तार प्रस्तावित किया गया था। यह पाया गया कि इस पर तथ्य तोलाराम बनाम बी. एन.रंगवानी (1974) 3 एससीसी 575 में फिर से विचार किया गया था लेकिन इस मामले का निष्कर्ष अलग-अलग विचारों पर निकाला गया है। इस प्रकार निर्विवाद रूप से कानून की स्थापित स्थिति यह है कि धारा 110(2) के तहत समय बढ़ाते समय, जब्त माल का मालिक नोटिस पाने का हकदार है, क्योंकि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर जब्त माल उसे वापस किया जाना आवश्यक है, और यदि उस अवधि को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाना था, तो उसे सुनवाई का अधिकार था। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपील के तहत निर्णय में सही रूप से टिप्पणी की है कि उसके समक्ष यह विवादित नहीं था कि अधिनियम की धारा 110(2) और 124 के तहत समय को छह महीने तक बढ़ाने संबंधी एकपक्षीय आदेश दोषपूर्ण था।

8. फिर सवाल यह उठता है कि अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) के तहत समय बढ़ाने के आदेश का क्या नतीजा निकला है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता हमें यह ठहराएंगे कि उस उल्लंघन के सामने, धारा 124 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है क्योंकि उन्हें धारा 110 की सहायता के बिना शुरू नहीं किया जा सकता था। हालांकि, यह तर्क चरण दास मल्होत्रा के मामले के अनुपात के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उस मामले की रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 के दूसरे हिस्से में इस न्यायालय ने टिप्पणी की:-

“धारा 124 में प्रावधान है कि किसी भी माल को जब्त करने या किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि माल के मालिक या ऐसे व्यक्ति को लिखित में नोटिस न दिया जाए जिसमें उसे उन आधारों के बारे में बताया जाए जिन पर माल को जब्त करने या जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। धारा में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर नोटिस दिया जाना चाहिए। धारा 110(2) में निर्धारित अवधि केवल माल की जब्ती को प्रभावित करती है, नोटिस की वैधता को नहीं।”

(जोर दिया गया)

इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में यह माना गया है कि धारा 110(2) के तहत प्रभाव पैदा करने वाली सम्बद्ध अवधि केवल माल की जब्ती से संबंधित होगी। धारा 124 के तहत नोटिस की वैधता, जिसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर इसे दिया जाना आवश्यक है, प्रभावित नहीं होती है। जब्ती छह महीने की समाप्ति के बाद या छह महीने की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद मालिक या संबंधित व्यक्ति को जब्त माल के कब्जे का हकदार बना सकती है। यह स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्तर पर मामला जांच के अधीन है। अध्याय XIV के तहत कार्यवाही शुरू करने पर, धारा 124 एक नोटिस जारी करने का आदेश देती है जिसके लिए कोई अवधि तय नहीं की गई है जिसके भीतर नोटिस दिया जा सकता है। अंतर स्पष्ट है क्योंकि यह परीक्षण की ओर एक कदम है। चरणदास मल्होत्रा के मामले में इस न्यायालय का पूर्वोक्त निर्णय इस प्रश्न का

समाधान करता है और इसका उत्तर यह है कि ये दोनों धाराएं 110 और 124 एक दूसरे से स्वतंत्र, पृथक और अनन्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप धारा 124 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी, भले ही जब्त माल को जब्ती की स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के बाद अधिनियम की धारा 110 के अनुसार वापस करना पड़े या वापस ही रहना पड़े।”

12. इस प्रकार, *हरबंस लाल* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि अधिनियम की धारा 110(2) के तहत अपेक्षित नोटिस की तामील नहीं की जाती है, तो माल वापस किया जा सकता है, हालांकि इससे अधिनियम की धारा 124 के तहत माल की जब्ती की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
13. *जीवराज और अन्य*, जिस पर प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया, वास्तव में वही बात दोहराता है जो *हरबंस लाल* मामले में कही गई थी। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भले ही माल की जब्ती के संबंध में धारा 110 (2) के तहत कोई नोटिस न दिया गया हो, फिर भी माल को अधिनियम की धारा 124 के तहत जब्ती के उद्देश्य से जब्त किया जा सकता है।
14. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. दुबे ने मुझे यह समझाने का प्रयास किया कि इस मामले में बैंक खाते की जब्ती अधिनियम की धारा 110(2) के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह अधिनियम की धारा 110(3) के अंतर्गत आती है तथा इस धारा के

अंतर्गत उस व्यक्ति को कोई नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कब्जे से कोई दस्तावेज या वस्तु जब्त की गई हो।

15. श्री एस. के. दुबे आग्रह करते हैं कि सीमा शुल्क की चोरी के संबंध में जांच जारी है और उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों को बहुत जल्द कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की संभावना है। यह आग्रह किया जाता है कि बैंक खाते को निष्क्रिय करना मुख्य रूप से सीमा शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए था, जिसे माल की गलत घोषणा के कारण टाला गया था।
16. अधिनियम की धारा 110(3) उन दस्तावेजों या चीजों को जब्त करने से संबंधित है जो उचित अधिकारी की राय में अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक होंगे। मेरी राय में, बैंक खाते को निष्क्रिय करना अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज या चीज को जब्त करना नहीं होगा। बल्कि खाते को निष्क्रिय करना केवल याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत कथित उल्लंघनों की आय को वापस लेने से रोकने के उद्देश्य से था।
17. यूरोएशिया ग्लोबल में, जिस पर प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 2(22) के तहत

परिभाषित 'माल' में मुद्रा शामिल है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बैंक खाते को निष्क्रिय करना मुद्रा की जब्ती के बराबर होगा। चूंकि प्रत्यर्थागण की दलील यह है कि बैंक खाते को चोरी किए गए सीमा शुल्क, जुर्माना आदि की वसूली के लिए निष्क्रिय किया गया है, इसलिए बैंक खाते को निष्क्रिय करना किसी भी दस्तावेज की जब्ती के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही यह जब्ती के लिए उत्तरदायी किसी भी माल की जब्ती के बराबर भी नहीं हो सकता है। यूरोएशिया ग्लोबल में, मुद्रा की जब्ती के मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिना शर्त नगदी को निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। पैरा 8 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया : -

“8. हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मामले के तथ्यों पर रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, निर्णय से पहले, उच्च न्यायालय को बिना शर्त नगदी को निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। वास्तव में, हमने प्रत्यर्था के विद्वान अधिवक्ता से बैंक गारंटी देने को कहा। प्रत्यर्था उस राशि के लिए बैंक गारंटी देने की स्थिति में नहीं है जिसे उसने पहले ही निकाल लिया था।”

18. इसी तरह, सज्जन कुमार मामले में, बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि पिछले निर्यात लेनदेन के संबंध में प्राप्त राशि वापस नहीं ली जाएगी।

19. तत्काल मामला कुछ रसायनों के आयात और उन पर सीमा शुल्क की चोरी से संबंधित है।
20. प्रत्यर्थीगण ने जवाबी शपथपत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताया है कि किस प्रकार गलत घोषित माल को मेसर्स वीवीके ट्रेडर्स, मेसर्स मेहता ओवरसीज, मेसर्स चोपड़ा ओवरसीज और मेसर्स उमेश इम्पेक्स तथा अन्य फर्मों द्वारा आयात किया गया और दिखाया गया कि उसे फर्जी नकद बिलों के आधार पर व्यक्तियों को बेचा गया तथा सही विवरण वाले आयातित रसायनों की आपूर्ति फर्जी फ्रंट फर्मों के अन्य समूह द्वारा मुख्य रूप से सांभा, जम्मू और कश्मीर में स्थित कई फर्मों को की गई और याचिकाकर्ता की फर्म ऐसी ही फर्मों में से एक पाई गई।
21. मामले के इस दृष्टिकोण से, चूंकि बैंक खाते को निष्क्रिय करना, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 110 के तहत परिकल्पित 'माल' की जब्ती नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता बिना शर्त बैंक खाते को सक्रिय करने का हकदार नहीं है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि बैंक खाता सं. 030874226, सिटीबैंक, एनए, 27 सेंट्रल मार्केट, सेक्टर II, वेस्टर्न एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में खाता निष्क्रिय करने की तिथि के बाद जमा की गई राशि को जारी किया जाएगा, बशर्ते कि खाता निष्क्रिय करने की तिथि से खाते

में जमा की गई राशि के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2 को बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए।

22. रिट याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(श्री जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

20 दिसंबर, 2013
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।